

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

प्रेषक :- शासन सचिव, वित्त (बजट)।
प्रेषित :- श्री विपिन कुमार,
35-बी, गॉ. पोरी, शाहपुरा
भीलवाड़ा (राज.) 311404

क्रमांक प.व(7)वित्त/नियम/2002

जयपुर, दिनांक : 25 NOV 2010

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पुनः सूचना चाहने बाबत।

संदर्भ :- वित्त सचिव/विशेषाधिकारी वित्त नियम को सम्बोधित आपका पत्र
दिनांक 2.10.2010

महोदय,

उपर्युक्त विषय-संबंधित इस विभाग के समस्तपत्र दिनांक 22.10.2010 के
क्रम में आप द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक शून्य के द्वारा वांछित सूचना के क्रम में
निर्देशानुसार लेख है कि probationer tranee द्वारा राजकीय कार्य से यात्रा करने पर
T.A on tour में बस किराया, विराम भत्ता एवं अनुपातिक व्यय देय होंगे।

सन्धीय,



(आदित्य पारोक)
उप शासन सचिव